

राधेश्याम पिता गोकल जणवा नि. भाणुजा तह0 बड़ीसादड़ी

– वादी

॥ बनाम ॥

- 1- कंकुबाई पत्नी कन्हैयालाल जणवा नि. भाणुजा तह0 बड़ीसादड़ी
- 2- रतनलाल पिता डालू जणवा नि. भाणुजा तह0 बड़ीसादड़ी
- 3- उदयलाल पिता डालू जणवा नि. भाणुजा तह0 बड़ीसादड़ी
- 4- बदामी पिता डालू जणवा नि. भाणुजा तह0 बड़ीसादड़ी
- 5- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

– प्रतिवादीगण

अंदि.पत मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त चुका है। माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा भाणुजा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है –

1- राधेश्याम पिता गोकल जणवा

| आ.न. | रकबा | लगान |
|-----------|-------------|--------------|
| 1911 | 0.51 | 21.42 |
| 1912 | 0.09 | 3.78 |
| 2005/1 | 0.17 | 3.23 |
| 03 | 0.77 | 28.43 |


2- कंकू बाई पत्नी कन्हैयालाल 1/4 रतनलाल उदयलाल पिता डालू 1/2 मांगीलाल पिता कन्हैयालाल 1/12 बदामी पिता डालू जणवा 1/6 सं. देह

| आ.न. | रकबा | लगान |
|-----------|-------------|--------------|
| 1838 | 0.11 | 3.63 |
| 1839 | 0.46 | 15.18 |
| 1840 | 0.09 | 2.97 |
| 1841 | 0.05 | 1.65 |
| 2005 मी | 0.06 | 1.14 |
| 05 | 0.77 | 24.57 |

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी